# न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर ।
## पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या :– 59/2022 (2022/104)

<u>अपीलार्थी</u> :–

गंगासिंह पुत्र श्री इन्द्रराजसिंह, जाति पुरोहित, निवासी सुराणी, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर।

बनाम

<u>रेस्पोडेन्ट</u> :–

तहसीलदार तहसील बालेसर जिला जोधपुर।

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 808 ग्राम सुराणी जिसको तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 21.10.2021 को खारिज कर दिया गया ।

<u>उपस्थिति</u> :–

अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत (अपीलार्थी)।

–: <u>आदेश</u> :– दिनांक :–17.02.2023

अपीलार्थी ने यह अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 808 ग्राम सुराणी जिसको तहसीलदार बालेसर द्वारा दिनांक 21.10.2021 को खारिज कर दिया, के विरूद्व प्रस्तुत की गयी। जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सुराणी में अपीलार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 227, 222, 233, 234 व 224 आई हुई है जिसका पक्षकारों ने आपसी सहमति से बंटवाड़ा कर लिया। जिसकी पालना में नामान्तरकरण पारित करने हेतु पटवारी हल्का को पेश किया, जिसको तहसीलदार ने दिनांक 21.10.2021 को खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की है।

अपील पंजीबद्ध कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बालेसर से मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। तहसीलदार बालेसर से मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर अपीलार्थी अभिभाषक की बहस दिनांक 29.01.2023 को सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु रखी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:52:29 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करने का आधार बताया गया कि जमाबन्दी के खाता न0 225 में दर्ज सरिता, ललिता पुत्रियां गुमानसिंह का नाम बंटवाड़ा दस्तावेज में शामिल नहीं पाया गया जिस कारण बंटवाड़ा गलत होने से अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त कर दिया गया जबकि सहमति बंटवाड़ा में सरिता व ललिता पुत्रिया गुमानसिंह का नाम शामिल है। अतः अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करने में तहसीलदार ने कानूनी भूल की है।

अपीलार्थी ने बहस में आगे बतलाया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त करने से पूर्व अपीलार्थी को किसी प्रकार की कोई सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। बिना सूचना एवं सुनवाई के तहसीलदार द्वारा निरस्त किया गया अपीलाधीन नामान्तरकरण निरस्त योग्य है।

हमने अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली और अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रिकार्ड का भी अवलोकन किया गया। अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना–पत्र का निस्तारण करना उचित समझते है। अपीलार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम में बतलाया कि अपीलार्थी ने आपसी सहमति से पारित बंटवाड़े की नकल पटवारी हल्का को दी तो पटवारी हल्का ने कहा कि आपसी सहमति के बंटवाड़े के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज हो जायेगा लेकिन जब दिनांक 19.05.2022 को नामान्तरकरण की नकल ली तो अपीलार्थी को सर्वप्रथम जानकारी में आया कि आपसी सहमति के बंटवाड़े के आधार पर नामान्तरकरण को निरस्त कर दिया गया। अपील में हुए विलम्ब के कारण बतलाये गये उन तथ्यों का प्रत्यर्थीपक्ष द्वारा विरोध नहीं किया गया। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम में अपील में हुई देरी का अपीलांटस् के पास न्यायोचित कारण होने से प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम का स्वीकार करते हुए अपील में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील का निस्तारण गुणावगुण पर इस प्रकार किया जा रहा है। अपीलार्थीपक्ष का अपील में मुख्य कथन यह है कि आपसी सहमति के बंटवाड़े के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने लिए अपीलार्थी ने पटवारी हल्का को बंटवाड़े की नकल दी लेकिन भू–अभिलेख निरीक्षक ने अपीलाधीन नामान्तरकरण में नोट अंकित किया कि [illegible] से मिलान किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:52:29 IST
Reason: SelfAttested

जमाबन्दी के खाता नं0 225 में दर्ज खातेदार सविता, ललिता पुत्रियाँ गुमानसिंह का नाम बंटवाड़ा दस्तावेज में शामिल नहीं पाये गये। अतः उक्त आपसी सहमति से किया गया बंटवाड़ा में दो खातेदारों को शेष रखा गया तथा नाम हटा दिया गया। अतः बंटवाड़ा गलत होने से खारिज योग्य है। " उक्त नोट के आधार पर तहसीलदार (भू0अ0) बालेसर ने उक्त नामान्तरकरण निरस्त कर दिया। प्रथम दृष्ट्या अपील में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा आदेश की प्रमाणित प्रति को देखने से स्पष्ट है कि आपसी सहमति के बंटवाड़ा आदेश में खातेदार सविता व ललिता पुत्रियाँ गुमानसिंह का नाम सम्मिलित है तथा तहसीलदार के लघु हस्ताक्षर भी किये हुए है तथा आपसी सहमति पर ललिता व सविता के हस्ताक्षर भी है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 808 ग्राम सुराणी जिसको तहसीलदार (भू0अ0) बालेसर द्वारा दिनांक 21.10.2021 को खारिज करने का आदेश दिया गया, को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार को प्रतिप्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि वह बंटवाड़ा आदेश क्रमांक भू0अ0/बंटवाड़ा/2021/564 दिनांक 19.03.2021 के अनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। अधीनस्थ न्यायालय का मूल नामान्तरकरण आदेश की प्रति के साथ पुनः भेजा जावे।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

आदेश आज दिनांक 17.02.2023 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2023.08.04 13:52:29 IST
Reason: SelfAttested